भारत सरकार

परमाणु ऊर्जा विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *297

जिसका उत्तर दिनांक 23.03.2022 को दिया जाना है

परमाणु विकिरण

***297. प्रो. सौगत राय :**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण परमाणु आपदा, यदि कोई हो, से उत्पन्न परमाणु विकिरण की स्थिति से निपटने के लिए एहतियाती उपाय किए हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे एहतियाती उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रूस-यूक्रेन युद्ध से तमिलनाडु में कुडनकुलम रिएक्टर की संरक्षा एवं सुरक्षा पर प्रभाव पड़ेगा;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या परमाणु विकिरण के खतरे के कारण कुडनकुलम रिएक्टर को समाप्त करने की कोई मांग की गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधान मंत्री कार्यालय (डॉ. जितेन्द्र सिंह) :

(क) से (च) तक सदन के पटल पर विवरण प्रस्तुत है ।

******

भारत सरकार

परमाणु ऊर्जा विभाग

"परमाणु विकिरण" के संबंध में प्रो. सौगत राय द्वारा पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *297, जिसका उत्तर दिनांक 23.03.2022 को दिया जाना है, के संदर्भ में विवरण ।

(क) तथा (ख) रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण किसी संभावित नाभिकीय आपदा से भारत पर विकिरण प्रभाव पड़ने की कोई परिकल्पना नहीं की गई है । देश भर में स्थापित भारतीय पर्यावरणीय विकिरण मॉनीटरन नेटवर्क (आईईआरएमओएन) लगातार पृष्ठभूमि विकिरण स्तर का मॉनीटरन करता रहता है जिससे विकिरण स्तर में किसी भी वृद्धि का शीघ्र संकेत दिया जा सके । देश के अंदर स्वीकार्य सीमा से अधिक विकिरण स्तर की असंभावित स्थिति होने पर, स्थिति को संभालने के लिए विकिरण आपात अनुक्रिया योजना उपलब्ध है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) लागू नहीं ।

(ङ) जी, नहीं ।

(च) लागू नहीं ।

******